कार्यालय–संयुक्त निदेशक स्कूल–शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर

–: कार्यालय–आदेश :–

वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति प्रकिया वर्ष 2012–13 के रिशफल परिणाम के आधार पर उच्च मेरिट के बावजूद विलम्ब से नियुक्ति प्राप्त याचिकार्थीगण ने मान्नीय उच्च न्यायालय जोधपुर में **याचिका संख्या 4669/2022 शिवराज सिंह शेखावत,** बनाम राजस्थान सरकार दायर कर कम मेरिट वाले पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थीगण से उच्चतर वरिष्ठता, तदनुसार वेतनमान एवं पदोन्नति आदि के परिलाभ प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया था । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 21.04.20220 के द्वारा पूर्व निर्णीत समान प्रकृति की याचिका संख्या, 7283/2014 मनोज कुमार खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 से कवर करते हुए तद्नुसार याचिकार्थीगण के अभ्यावेदन निस्तारण किया जाना आदेशित किए जाने पर निदेशालय के पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./विविध/2020 दिनांक :–05.11.2020 के द्वारा याचीगण के अभ्यावेदन पत्र में वर्णित विभिन्न निर्देशों के अनुसार निस्तारित किया जाना आदेशित किया गया है। उक्त याचिका में क्रमशः याची संख्या 01–शिवराज सिंह शेखावत के ही स्थानीय कार्यालय से संबंधित होने के कारण उक्त याची के अभ्यावेदन क्रमशः दिनांक 22.04.2022 के अनुसार संबंधित ने स्वयं को वरिष्ठता सूची में स्वयं से कनिष्ठ कार्मिक से उच्च स्थान पर अंकित कर तद्नुसार वरिष्ठता आदि के परिलाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। हस्तगत प्रकरण में उक्त याची के संबंध में रिकॉर्ड का अवलोकन किए जाने पर संबंधित की संशोधित वरिष्ठता आदि की स्थिति याचिका निर्णय के आलोक में निदेशालय की उक्त अनुपालना स्वीकृति दिनांक 05.11.2020 के निर्देशानुसार निम्न तालिका अनुसार दर्शित की गई है।

क्र.सं.	नाम याचिकार्थी /विषय/पदस्थापन स्थान	मेरिट कमांक /कार्यग्रहण तिथि	न्यून वरीयता के कार्मिक का नाम	मेरिट कमांक /कार्यग्रहण तिथि	नोशनल परिलाभ देयता तिथि
1	2	3	4	5	6
1	शिवराज सिंह शेखावत, व0अ0 सा0वि0 रामावि0 गिंगालिया मकराना नागौर	634/ 16.08.2013	राम खण्ड़ेलवाल/एल.एन. खण्ड़ेलवाल	705/ 05.01.2013	05.01.2013

अतः प्रकरण में याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निदेशालय के पत्र दिनांक 05.11.2020 के बिंदू संख्या 01 के निर्देशानुसार विचारित किया जाकर स्वीकार करते हुए संबंधित को उक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से संशोधित रूप से वरिष्ठता के साथ वेतन वृद्वि का नोशनल परिलाभ प्रदान किया जाना आदेशित कर अभ्यावेदन का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि संबंधित याचीगण ने राजकीय सेवा में व.अ. के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया है एवं उक्त अवधि में नियत पारिश्रमिक ही संदत्त किया गया है । याचीगण को वास्तविक नगद परिलाभ उसके द्वारा नियमानुसार दो वर्ष पूर्ण करने की तिथि से ही देय होंगे । संबधित सूचित हो ।

25/4/22

संयुक्त निदेशक स्कूल–शिक्षा
अजमेर संभाग अजमेर

क्रमांकः संनि/स्कूल शि/अज/संस्था–4/कोर्टकेस/2022/2116
दिनांक– 25.04.2022

प्रतिलिपि–

1–जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक नागौर।
2–सम्बधित संस्था प्रधान–रामावि0 गिंगालिया मकराना नागौर।
3–संबंधित कार्मिक श्री शिवराज सिंह शेखावत, व0अ0 सा0वि0।
4–विधि शाखा स्थानीय कार्या.(02 प्रति)/संस्था–6
5–कार्या.पजिका।

25/4/22

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
अजमेर संभाग अजमेर

court cases